रसायन और उर्वरक मंत्रालय

मांग संख्या 7

रसायन और पेट्रोरसायन विभाग

क. वसूलियॉं और प्राप्तियॉं को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

		वास्तविक 2013-2014			बजट 2014-2015			संशोधित 2014-2015			बजट 2015-2016		
	मुख्य शीर्ष	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
	राजस्व	1157.94	50.64	1208.58	171.49	63.67	235.16	137.49	52.72	190.21	156.00	67.15	223.15
	पूंजी	...	...	...	*35.51*	*0.01*	*35.52*	*35.51*	*0.01*	*35.52*	*32.00*	*0.03*	*32.03*
	जोड़	**1157.94**	**50.64**	**1208.58**	**207.00**	**63.68**	**270.68**	**173.00**	**52.73**	**225.73**	**188.00**	**67.18**	**255.18**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	0.70	14.02	14.72	0.50	15.80	16.30	0.70	15.06	15.76	1.00	15.79	16.79
उद्योग													
पैट्रो रसायन उद्योग													
2. सेंट्रल इंस्टीटयूट आफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलाजी (सीआईपीईटी)	2852	140.96	...	140.96	87.81	...	87.81	85.68	...	85.68	83.68	...	83.68
3. असम गैस परियोजना को आर्थिक सहायता	2852	976.96	...	976.96	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02
4. पैट्रोरसायन की नई योजनाएं	2852	31.34	...	31.34	41.50	...	41.50	13.04	...	13.04	42.41	...	42.41
जोड़-पैट्रो रसायन उद्योग		**1149.26**	**...**	**1149.26**	**129.32**	**0.01**	**129.33**	**98.73**	**0.01**	**98.74**	**126.10**	**0.01**	**126.11**
रासायनिक और भेषज उद्योग													
5. भोपाल गैस रिसाव त्रासदी (बीजीएलडी)	2852	...	36.03	36.03	...	43.55	43.55	...	33.58	33.58	...	47.64	47.64
6. कीटनाशी निर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईपीएफटी)	2852	4.34	0.59	4.93	5.00	4.30	9.30	1.69	4.07	5.76	1.00	3.70	4.70
7. रासायनक अस्त्र अभिसमय (सीडब्ल्यूसी)	2852	0.96	...	0.96	1.20	0.01	1.21	1.20	...	1.20	1.00	0.01	1.01
8. रसायन संवर्धन और विकास योजना (सीपीडीएस)	2852	2.83	...	2.83	4.30	...	4.30	4.00	...	4.00	1.90	...	1.90
जोड़-रासायनिक और भेषज उद्योग		**8.13**	**36.62**	**44.75**	**10.50**	**47.86**	**58.36**	**6.89**	**37.65**	**44.54**	**3.90**	**51.35**	**55.25**
जोड़-उद्योग		**1157.39**	**36.62**	**1194.01**	**139.82**	**47.87**	**187.69**	**105.62**	**37.66**	**143.28**	**130.00**	**51.36**	**181.36**
9. पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के लाभार्थ परियोजना/योजना के लिए एकमुश्त प्रावधान	2552	...	...	...	31.17	...	31.17	31.17	...	31.17	25.00	...	25.00
10. लोक उद्यमों को ऋण													
10.01 हिन्दुस्तान फ्लोराकार्बन्स लि.	6856	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.01	0.01
10.02 हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लि. (एच.आई.एल)	6857	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.01	0.01
10.03 हिन्दुस्तान आर्गैनिक केमिकल्स (एचओसीएल)	6857	...	...	...	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01

(करोड़ रुपए)

		वास्तविक 2013-2014			बजट 2014-2015			संशोधित 2014-2015			बजट 2015-2016		
	मुख्य शीर्ष	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
जोड़- लोक उद्यमों को ऋण		...	...	...	...	*0.01*	*0.01*	...	*0.01*	*0.01*	...	*0.03*	*0.03*
11. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में निवेश	6856	...	...	...	20.50	...	20.50	20.50	...	20.50	5.00	...	5.00
	6857	...	...	...	15.01	...	15.01	15.01	...	15.01	27.00	...	27.00
	जोड़	...	...	...	*35.51*	...	*35.51*	*35.51*	...	*35.51*	*32.00*	...	*32.00*
12. ब्याज की छूट													
12.01 हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लि.	2852	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12.02 घटाए-निवल प्राप्तियां	0049	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12.03 घटाए-निवल प्राप्तियां	0852	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	कुल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
13. ज्यादा भुगतान की वसूलियां	2852	-0.15	...	-0.15	...	...	...	...	...	...	...	...	...
कुल जोड़		***1157.94***	***50.64***	***1208.58***	***207.00***	***63.68***	***270.68***	***173.00***	***52.73***	***225.73***	***188.00***	***67.18***	***255.18***
	विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ख. सार्वजनिक उद्यम में निवेश													
रसायन तथा भेषज उद्योग													
11.01 हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल लिमिटेड (एचओसीएल)	12857	...	...	...	0.01	-33.41	-33.40	0.01	150.00	150.01	17.00	...	17.00
11.02 हिन्दुस्तान इंसेक्टीसाइड्स लि.	12857	...	...	...	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00	10.00	...	10.00
11.03 हिन्दुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लि.	12856	...	...	...	20.50	...	20.50	20.50	...	20.50	5.00	...	5.00
कुल-रसायन तथा भेषज उद्योग		**...**	**...**	**...**	**35.51**	**-33.41**	**2.10**	**35.51**	**150.00**	**185.51**	**32.00**	**...**	**32.00**
जोड़		**...**	**...**	**...**	**35.51**	**-33.41**	**2.10**	**35.51**	**150.00**	**185.51**	**32.00**	**...**	**32.00**
ग. योजना परिव्यय													
1. पेट्रोरसायन उद्योग	12856	1149.11	...	1149.11	149.82	...	149.82	119.23	...	119.23	131.10	...	131.10
2. रसायन और भेषज उद्योग	12857	8.13	...	8.13	25.51	-33.41	-7.90	21.90	150.00	171.90	30.90	...	30.90
3. सचिवालय -आर्थिक सेवाएं	13451	0.70	...	0.70	0.50	...	0.50	0.70	...	0.70	1.00	...	1.00
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	...	...	...	31.17	...	31.17	31.17	...	31.17	25.00	...	25.00
जोड़		**1157.94**	**...**	**1157.94**	**207.00**	**-33.41**	**173.59**	**173.00**	**150.00**	**323.00**	**188.00**	**...**	**188.00**

1. **सचिवालय:** इसमें 1.00 करोड़ रुपये का प्रावधान विभाग के सचिवालय पर खर्च के लिए है और उसमें सूचना प्रौद्योगिकी पर होने वाला व्यय शामिल है।

2. **केन्द्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान (सिपेट):** केन्द्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना विशेष प्रशिक्षण देने और प्लास्टिक सामग्रियों के भौतिक परीक्षण के लिए की गई थी। इस संस्थान ने अमदाबाद, अमृतसर, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, हल्दिया, इम्फा्ल, लखनऊ, मैसूर, पटना, गुवाहाटी, पानीपत, जयपुर

और औरंगाबाद में 16 विस्तार केंद्र स्थापित किए हैं। नए केन्द्रों की स्थापना सहित वर्ष 2015-16 में 83.68 करोड़ रुपए का प्रावधान नई योजनागत स्कीमों के लिए किया गया है।

4. **अन्य (पेट्रोरसायन की नई योजनाएं):** राष्ट्रीय पेट्रोरसायन नीति के अनुक्रम में पेट्रोरसायन के क्षेत्र में 11वीं योजना में शुरू की गई विभिन्न योजनाएं 12वीं योजना के दौरान जारी रहेंगी। पेट्रोरसायन और डाऊन स्ट्रीम प्लास्टिक प्रोसेसिंग उद्योग में प्रौद्योगिकी उन्नयन, पॉलिमर प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता केन्द्रों (सीओई) की स्थापना, पेट्रोरसायन के क्षेत्र में समर्पित प्लास्टिक पार्को और प्लास्टिक कचरा प्रबंधन की स्थापना के लिए राष्ट्रीय अवार्ड जैसे विभिन्न क्रियाकलापों के लिए वर्ष 2015-16 के लिए 42.41 करोड़ रूपए का प्रावधान है।

5. **भोपाल गैस रिसाव त्रासदी:** इस प्रावधान में कल्याण आयुक्त, भोपाल के कार्यालय और पेशेवर सेवाओं, विनिमय दर अंतर आदि से संबंधित व्यय सहित पीडितों के लिए मुआवजे के मामलों में निर्णय देने के लिए स्थापित विभिन्न न्यायालयों के सचिवालय खर्च आदि शामिल हैं।

6. **कीटनाशक निर्माण प्रौद्यौगिकी संस्थान (आईपीएफटी):** यह संस्थान पर्यावरण हितैषी पेस्टी साइड फार्मूलेशनों के विकास कार्य में लगा है जो किसानों की सुरक्षा ओर पर्यावरण संरक्षण के लिए अत्यन्त आवश्यक है। देश में पेस्टीसाइड उद्योग के विकास में यह संस्थान उत्त्प्रेरक की भूमिका निभा रहा है। वर्ष 2015-16 के लिए 1.00 करोड़ रुपये के परिव्यय में खरीफ फसल में कीटों के लिए बेसिल एवं हल्दी तेल और माइको हर्विसाइड से पूर्व एवं खेती पेस्ट प्रबंधन कीटनाशी के लिए सूत्रयोग विकास के लिए 11वीं योजना में ली गयी बायोसाइंस परियोजनाओ और विशलेष्णात्मक परियोजनाओ को पूरा करने के लिए तथा नए एवं विद्यमान उपकरणों के उन्नयन के लिए पूंजीगत सहायता शामिल है ।

7. **रासायनिक हथियार समझौता (सीडब्यूसी):** भारत रासायनिक हथियार समझौता (सी डब्ल्यू सी) के मूल पक्षकारों में से एक है। समझौते की प्रतिबद्धताओं को निभाने के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण नामक नोडल एजेंसी का भारत में गठन किया गया है। यह एजेंसी इकाइयों का परीक्षण निरीक्षण करती है, दोहरे उद्देश्य वाले रसायन उद्योगों के क्रियाकलाप की निगरानी करती है। उपयुक्त कार्मिकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करती है और सीडब्यूसी के क्रियान्वयन के संबंध में रासायनिक शास्त्र निषेध संगठन (ओपीसीडब्यू) की सहायता करती है। सी डब्ल्यूसी अधिनियम 1 जुलाई, 2005 से लागू हुआ है। वर्ष 2015-16 के परिव्यय रु 1.00 करोड़ में इससे संबंधित संवर्द्धनात्मक और अन्य परिचारी क्रियाकलाप के लिए प्रावधान शामिल हैं।

8. **रसायन संवर्द्धन और विकास योजना (सीपीडीएस):** विभिन्न सेमिनारों, कार्यशालाओं आदि का आयोजन करके रसायनों का संवर्द्धन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से और साथ ही पीसीपीआईआरएस की स्थापना संबंधी मामलों के लिए 2015-16 में रु. 1.90 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

9. **पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लिए एक मुश्त प्रावधान:** यह 2015-16 में रु. 25.00 करोड़ का प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए परियोजनाओं/योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए है। इस प्रयोजन के लिए आवश्यक सहायता प्लास्टिक पार्क स्कीमों, श्रेष्ठता केन्द्रों और सीआईपीईटी को अपनी अवसंरचना विकसित करने और कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए है, जो कि क्रियान्वयनाधीन है।

11. **सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिए प्रावधान:** रुपये 32.00 करोड़ का प्रावधान तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, हिन्दुस्तान कीटनाशक लिमिटेड एवं हिंदुस्तान फ्लोरो कार्बन लिमिटेड के लिए ऋण के रूप में दी जाती है जो कि इनके संयंत्रों और मशीनरी के उन्नयन के लिए है है।